37

COURT FEE — INDIA — TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर

नि०/ 3443/II/15

1- दुर्गा तनय बंईया धोबी उम्र 50 वर्ष

2- श्रीमति बड़ीबहू पत्नि दुर्गा धोबी

निवासी ग्राम लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर

जिला छतरपुर म०प्र० --- आवेदकगण

बनाम

1- रघुनाथ तनय घमला यादव

निवासी लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर

जिला छतरपुर म०प्र०

2- मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण श्रीमान राजस्व निरीक्षक लवकुशनगर जिला छतरपुर के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 53अ।12, वर्ष 14-15 में पारित आदेश दिनांक 3-8-2015 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक एक द्वारा ग्राम लवकुशनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 249।1, 250, 254।2 रकवा क्रमशः 0-870, 0-737, 0-040 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 26-7-15 को मौके पर आवेदकगण की अनुपस्थिति में अवैधानिकरूप से सीमांकन बिना चांदों का मिलान किये, किया गया, और जिसमें आवेदक क्रमांक एक को खसरा नंबर 249।1 रकवा 0-890 हे०के अंश भाग रकवा 0-160 पर दक्षिण पूर्व की ओर कब्जा कब्जाधारी पाया गया, इस

-2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3453/II/15 .... जिला छतरपुर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-15	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया । उपरोक्त के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण में कोई भी नक्शा, आक्षेपित आदेश का भाग नहीं है और नस्ती में उपलब्ध भी नहीं है, जिसमें स. न. 249 के ब्लॉक 249/1 की सीमाएं दिखती हों और निगरानीकार का अवैध कब्जा जहाँ पाया गया है वह भाग दिखाया गया हो । इसके अतिरिक्त सीमांकन हेतु स. नं. 243 के कुएं और 252 की पार को आधार माने जाने का जिक्र है । क्या ये स्थाई सीमाचिन्ह हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है । उपरोक्त के प्रकाश में मैं आक्षेपित आदेश को समुचित तौर पर सही और समाधानकारक नहीं पाता हूँ । अतः मैं तहसीलदार लवकुशनगर को निर्देश देता हूँ कि वे नक्शे, तरमीम और स्थाई सीमाचिन्हों के आधार पर सीमांकन के बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए, उक्त सीमांकन आवेदन के आधार पर नए सिरे से विधिवत कार्यवाही करें, और सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व आवेदित भूखण्ड की चतुर्सीमा नक्शे पर तरमीम हुई होना भी सुनिश्चित करें । साथ ही सीमांकन में यदि निगरानीकार का अवैध कब्जा पाया जाता है, तो वह नक्शे पर और रिपोर्ट में स्पष्टतापूर्वक दिखाएं । इसके साथ ही आक्षेपित आदेश अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । आदेश पारित । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण समाप्त । दा. द. हो । (सदस्य)	

[कृ. प. उ.